राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड
State Council of Educational Research and Training, Uttarakhand
Tapovan Road, Nalapani, Dehradun
Phone: 0135-2789655 Fax: 0135-2789656, Website: www.scert.uk.gov.in
E-mail: scertuk@gmail.com, scert_ua@rediffmail.com

पत्रांक : शि॰शि॰ सेवापूर्व/ 17-18 /दो–I (92)/2025–26 दिनांक 01 अप्रैल 2026

द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु मुख्य सूची (औपबन्धिक) एवं प्रतीक्षा सूची (औपबन्धिक) से चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने तथा प्रतीक्षा सूची हेतु आयोजित राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग में प्रतिभाग किये जाने सम्बन्धी सूचना ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एस0सी0ई0आर0टी0) उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा **द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2025 प्रवेश परीक्षा में मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची (औपबन्धिक) से चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जनपद आवंटन के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रवेश प्रकिया पूर्ण नहीं की गयी तथा ऐसे अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में आयोजित राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे,** को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दिनांक 4 अप्रैल 2026 को परिषद में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान स्थिति के अनुसार जनपद वार,वर्गवार,श्रेणीवार रिक्त सीटों के सापेक्ष ही जनपद आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी के वर्ग व श्रेणी में सीटों की अनुपलब्धता की दशा में जनपद आवंटन हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा । उक्त से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की वैबसाइट www.ubse.uk.gov.in प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in तथा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in पर उपलब्ध है ।

भवदीय
1.4.26

(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ॰सं॰: शि॰शि॰ सेवापूर्व/ 17-18 /दो–I (92)/2025–26 दिनांक – उक्तांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सम्पादक,अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10X7 सेमी॰ के साइज में अपने लोकप्रिय दैनिक सामाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

1.4.26
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰उत्तराखण्ड
देहरादून